

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-04/2025 श्र0सं0... 507

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

राजेश भारती (भा०प्र०से०),
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी उप श्रमायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
सभी सहायक श्रमायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
सभी श्रम अधीक्षक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

पटना, दिनांक:- 30/1/26

विषय:- (क) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101) एवं (ख) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230017890101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2236, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में तृतीय एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु निधि का समेकित आवंटन संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार किया गया है ।

- उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 20 फरवरी, 2026 तक किया जाना है।
- यह आवंटन व्यय शीर्ष (क) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में रू 24,57,600/- मात्र एवं विषयशीर्ष-20.03 प्रशिक्षण व्यय में रू 23,94,360/- मात्र अर्थात् कुल आवंटित राशि रू 48,51,960/- मात्र (रू अड़तालिस लाख इकावन हजार नौ सौ साठ) मात्र एवं व्यय शीर्ष (ख) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में रू 10,25,000/- मात्र एवं विषयशीर्ष-20.03 प्रशिक्षण व्यय में रू 10,24,650/- मात्र अर्थात् कुल आवंटित राशि रू 20,49,650/- (रू बीस लाख उनचास हजार छः सौ पचास) मात्र इस प्रकार (क) + (ख) के अन्तर्गत कुल आवंटित राशि रू 69,01,610/- (रू उनहत्तर लाख एक हजार छः सौ दस) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-235/वि0 दिनांक-01.04.2025 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98 तथा पत्रांक-3748/वि०(2), दिनांक-05.04.2010 के आलोक में है ।
- अनुसूची की स्तंभ (ख) में उल्लेखित उप शीर्ष में आवंटित राशि, कुल मजदूरो का 30% अनुसूचित जाति के मजदूरो के लिए है । अगर अनुसूचित जाति के मजदूरो की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका भुगतान अनुसूची की स्तंभ (क) में उल्लेखित उप शीर्ष में आवंटित राशि से किया जायेगा ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

7. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार जाँच कर किया जाय ।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।
9. यदि विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में टेंट, शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि के लिए आवंटित राशि में बचत होती है तो उस राशि से सबसे पिछड़ी पंचायत/ Industrial Cluster जहाँ श्रमिक अधिक होते हैं वहाँ गाँव/पंचायत स्तर पर एक अतिरिक्त शिविर का आयोजन करें ।

सभी संबंधित जिलों के उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर शिविर आयोजन करेंगे एवं शिविर के आयोजन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

अनु०- अनुसूची-1

विश्वासभाजन,

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-04/2025 श्र0सं0- 507

पटना, दिनांक- 30/1/26

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-04/2025 श्र0सं0- 507

पटना, दिनांक- 30/1/26

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/प्रशाखा-2, सरकार पक्ष/ प्रशाखा-4, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-04/2025 श्र0सं0- 507

पटना, दिनांक- 30/1/26

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आपसे अनुरोध है कि शिविर आयोजन के दिन आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को उक्त शिविर में भाग लेने हेतु निदेश देना चाहेंगे ।

श्रमायुक्त, बिहार।

अनुसूची-1

क्र.सं.	जिला का नाम जहाँ प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा	कुल मजदूरों की संख्या (प्रति पंचायत एक मजदूर)	कुल मजदूरों का 70%	(क) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी० 2230011030101) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में व्यय हेतु निधि का समेकित आवंटन की विवरणी		योग (कॉलम 5+6)	कुल मजदूरों का 30%	(ख) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी० 2230017890101) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में व्यय हेतु निधि का समेकित आवंटन की विवरणी		योग (कॉलम 9+10)	कुल योग (कॉलम 7+11)	शिविर आयोजन की तिथि
				कान्फ्रेंस कार्याशाला, सेमिनार 101. 20.02 मार्ग व्यय अधिकतम ₹100/- दूरी के अनुसार तथा भोजन/नास्ता ₹200/- प्रति मजदूर एवं शेष शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि हेतु ₹ 18000 प्रति शिविर	विषयशीर्ष-0101. 20.03 प्रशिक्षण व्यय (न्यून मजदूरी कृषि नियोजन दर रू० 405/- प्रति मजदूर)			कान्फ्रेंस कार्याशाला, सेमिनार 101.20.02 मार्ग व्यय अधिकतम ₹ 100/- दूरी के अनुसार तथा भोजन/नास्ता ₹200/- प्रति मजदूर एवं शेष शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि हेतु ₹ 7000 प्रति शिविर	विषयशीर्ष-0101. 20.03 प्रशिक्षण व्यय (न्यून मजदूरी कृषि नियोजन दर रू० 405/- प्रति मजदूर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अररिया	218	153	63900	61965	125865	65	26500	26325	52825	178690	20 फरवरी 2026 तक
2	अरवल	68	48	32400	19440	51840	20	13000	8100	21100	72940	
3	औरंगाबाद	203	142	60600	57510	118110	61	25300	24705	50005	168115	
4	बांका	185	130	57000	52650	109650	55	23500	22275	45775	155425	
5	बेतिया	315	221	84300	89505	173805	94	35200	38070	73270	247075	
6	बेगूसराय	257	180	72000	72900	144900	77	30100	31185	61285	206185	
7	भोजपुर (आरा)	228	160	66000	64800	130800	68	27400	27540	54940	185740	
8	भागलपुर	242	169	68700	68445	137145	73	28900	29565	58465	195610	
9	बक्सर	142	99	47700	40095	87795	43	19900	17415	37315	125110	
10	दरभंगा	324	227	86100	91935	178035	97	36100	39285	75385	253420	
11	डालमियानगर	246	172	69600	69660	139260	74	29200	29970	59170	198430	
12	गया	332	232	87600	93960	181560	100	37000	40500	77500	259060	
13	गोपालगंज	234	164	67200	66420	133620	70	28000	28350	56350	189970	
14	जहानाबाद	93	65	37500	26325	63825	28	15400	11340	26740	90565	

15	जमुई	153	107	50100	43335	93435	46	20800	18630	39430	132865
16	कटिहार	238	167	68100	67635	135735	71	28300	28755	57055	192790
17	खगड़िया	129	90	45000	36450	81450	39	18700	15795	34495	115945
18	कैमूर (भभुआ)	151	106	49800	42930	92730	45	20500	18225	38725	131455
19	किशनगंज	126	88	44400	35640	80040	38	18400	15390	33790	113830
20	लखीसराय	80	56	34800	22680	57480	24	14200	9720	23920	81400
21	मधेपुरा	170	119	53700	48195	101895	51	22300	20655	42955	144850
22	मधुबनी	399	279	101700	112995	214695	120	43000	48600	91600	306295
23	मोतिहारी	405	284	103200	115020	218220	121	43300	49005	92305	310525
24	मुंगेर	101	71	39300	28755	68055	30	16000	12150	28150	96205
25	मुजफ्फरपुर	385	270	99000	109350	208350	115	41500	46575	88075	296425
26	नालन्दा	249	174	70200	70470	140670	75	29500	30375	59875	200545
27	नवादा	187	131	57300	53055	110355	56	23800	22680	46480	156835
28	पटना	327	229	86700	92745	179445	98	36400	39690	76090	255535
29	पूर्णिया	251	176	70800	71280	142080	75	29500	30375	59875	201955
30	सहरसा	153	107	50100	43335	93435	46	20800	18630	39430	132865
31	समस्तीपुर	381	267	98100	108135	206235	114	41200	46170	87370	293605
32	शिवहर	53	37	29100	14985	44085	16	11800	6480	18280	62365
33	सारण	326	228	86400	92340	178740	98	36400	39690	76090	254830
34	सीवान	293	205	79500	83025	162525	88	33400	35640	69040	231565
35	सीतामढ़ी	273	191	75300	77355	152655	82	31600	33210	64810	217465
36	सुपौल	181	127	56100	51435	107535	54	23200	21870	45070	152605
37	शेखपुरा	54	38	29400	15390	44790	16	11800	6480	18280	63070
38	वैशाली	290	203	78900	82215	161115	87	33100	35235	68335	229450
	कुल योग	8442	5912	2457600	2394360	4851960	2530	1025000	1024650	2049650	6901610

20 फरवरी
2026 तक

A 20/2/26
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।